

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1034 /2021 दिनांक : 05.05.2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/884/2021 दिनांक 20.04.2021 के द्वारा श्री अरुण कुमार अग्रवाल (RJ0257), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, श्रीगंगानगर को दिनांक 22.04.2021 से 24.04.2021 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 21.04.2021 एवं 25.04.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसे निरस्त किया जाता है।

आज्ञा
25.05.2021
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/74/1996/2871

दिनांक 05.05.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, श्रीगंगानगर को उनके पत्रांक 10 दिनांक 16.04.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्री अरुण कुमार अग्रवाल (RJ0257), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, श्रीगंगानगर।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, श्रीगंगानगर।

सहायक रजिस्ट्रार